न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस0पी0सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 01/2018

बउनवान

1– कालूलाल आयु 50 वर्ष पुत्र श्री मूलचन्द जाति–मीणा निवासी वार्ड नं0 20 मॉगरोल तह. मॉगरोल जिला–बारां
2– खेमराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री मूलचन्द जाति–मीणा निवासी वार्ड नं0 20 मॉगरोल तह. मॉगरोल जिला–बारां
3– धन्नालाल उर्फ पन्नालाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री माधोलाल जाति–मीणा निवासी वार्ड नं0 20 मॉगरोल तहसील–मागरोल जिला–बारां(राज0)

(अपीलांट्स)

बनाम

1– गिर्राज आयु 32 वर्ष पुत्र श्री नंदकिशोर जाति–मीणा निवासी वार्ड नं0 20 मॉगरोल तहसील मॉगरोल जिला–बारां
2– रामसिंह आयु 30 वर्ष पुत्र श्री नंदकिशोर जाति–मीणा निवासी–वार्ड नं0 20 मॉगरोल तहसील'मॉगरोल जिला–बारां
3– भॅवरबाई आयु 28 वर्ष पुत्री श्री नंदकिशोर पत्नी श्री शिवराज जाति–मीणा निवासी–हरनावदा तहसील–अटरू जिला–बारां
4– सुनीता आयु 25 वर्ष पुत्री श्री नंदकिशोर पत्नी श्री दानमल जाति–मीणा निवासी–रामपुरिया तहसील–मॉगरोल जिला–बारां
5– ममता आयु 23 वर्ष पुत्री श्री नंदकिशोर पत्नी श्री सोनू जाति–मीणा निवासी–छत्रपुरा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां
6– सुशीला बेवा नंदकिशोर जाति–मीणा निवासी वार्ड नं. 20 मॉगरोल तहसील–मॉगरोल जिला–बारां
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मॉगरोल **(रेस्पोंडेंटस्)**

अपील विरूद्व तहसीलदार,मॉगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2017 एवं तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2285 दिनांक 16.08.2017 वाके ग्राम मॉगरोल अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री सत्यनारायण मीणा, अभिभाषक **(अपीलांट्स)**
2. श्री महेशप्रकाश गौतम, अभिभाषक **(रेस्पोंडेंटस्)**

निर्णय दिनांक– 18.06.2018

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.08.2017 एवं आदेश की पालना में तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2285 दिनांक 16.08.2017 वाके ग्राम मॉगरोल ने अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि वाके ग्राम मॉगरोल के खाता नं. 711 में खसरा नम्बर 3513, 3514, 3515 कुल 0.77 है0 आराजी खातेदार मथुरालाल, धन्नालाल, श्रीलाल पि0 माधोलाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

जाति–मीणा निवासी मॉगरोल, खाता सं0 714 के खसरा नम्बर 2247, 2448, 2449, 2450 रकबा 1.25 है0 खातेदार मथुरालाल पुत्र माधोलाल मीणा नि. मॉगरोल, खाता सं. 791 के खसरा नम्बर 3616 रकबा 1.31 है0 खातेदार मूलीलाल, मथुरालाल पि. माधोलाल जाति मीणा नि. मॉगरोल, इसी प्रकार खाता सं0 795 की आराजी खसरा नम्बर 3313, 3593 कुल रकबा 1.38 है0 खातेदार मूल्या, मथुरा व पन्ना पि0 माधो मीना निवासी मॉगरोल के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अपीलांट व रेस्पों0 का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है–

माधोलाल

मूलचन्द(मृतक)	मथुरालाल (मृतक) लाओलाद फोत	धन्नालाल(मृतक)
1– रूकमणी पुत्री		1– रामचन्द्र पुत्र
2– नन्दकिशोर पुत्र (मृतक)		2– हेमराज पुत्र
3– बिरधीलाल पुत्र		3– सीताबाई पुत्री
4– कालूलाल पुत्र		4– बाबूलाल पुत्र
5– खेमराज पुत्र		5– जानकीबाई पुत्री
6– निर्मला पुत्री		6– बुद्धिप्रकाश पुत्र

रेस्पों0 कम 1 ता 6 मृतक नन्दकिशोर के वारिसान् है। मथुरालाल पुत्र माँधोलाल मीना नि0 मॉगरोल लाओलाद फोत हुए है तथा मथुरालाल ने अपने जीवनकाल में कभी भी किसी को गोदनामा, वसीयतनामा आलेखित नहीं किया था। मृतक मथुरालाल अपीलांट के पिता मूलचन्द का सगा भाई था। रेस्पों0 कम 1 ता 6 के पिता मृतक नन्दकिशोर ने फर्जी गोदनामा दिनांक 4.7.2003 मथुरालाल पुत्र माधोलाल का तैयार करवाकर मथुरालाल के हिस्से एवं कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजियात् को हडपने के उददेश्य से तैयार कराया गया था जबकि गोदनामा तस्दीक करते समय नन्दकिशोर की आयु 44 वर्ष थी तथा 44 वर्ष की आयु में काननून गोद जाना व गोद लेना अवैध व अमान्य व प्रभावशून्य है।

साथ हीं निवेदन किया कि उक्त फर्जी व बनावटी गोदनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे मृतक नन्दकिशोर ने इन्तकाल खुलवाने हेतु आवेदन पेश किया था जिसकी जॉच अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित हल्का पटवारी मॉगरोल से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट तैयार करवाकर, पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट को सहीं मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4.8.2017 को निर्णय पारित किया किया है जो विधि के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक नन्दकिशोर कभी भी मथुरालाल जी के गोद नहीं गया है क्योकि मृतक नन्दकिशोर का जो मृत्यु प्रमाण जारी है उसमें भी उसके पिता का नाम मूलचन्द अंकित है, जो दिनांक 23.6.2017 को जारी हुआ है । इसी प्रकार मृतक नन्दकिशोर का आधार कार्ड, वोटर आई.डी. वोटर लिस्ट में भी पिता का नाम मूलचन्द अंकित है अपने आप प्रमाणित करता है कि नन्दकिशोर कभी भी मृतक मथुरालाल के गोद गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व तस्दीकी इन्तकाल निरस्त किये जाने है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विवादित आराजी पर अपीलांट बाहमी विभाजन अनुसार मौके पर काबिज काश्त है एवं प्रतिवर्ष फसल बोते व काटते है तथा वर्तमान में भी मौके पर काबिज है। लेकिन अब रेस्पों0 उक्त आदेश व इन्तकाल के आधार पर जबरन विवादित आराजियात् पर कब्जा करने पर उतारू है। रेस्पों0 का कथन है कि आयन्दा काश्त मत करना वरना जान से मार देगे। उक्त आदेश दिनांक 4.8.2017 व इन्तकाल नं0 2285 दिनांक 16.8.2017 की जानकारी दिनांक 15.11.2017 को पटवारी हल्का के पास समर्थन मूल्य के कांटो पर उडद बेचान के लिये राजस्व नकले प्राप्त करने पर हुई, जानकारी बाद दिनांक 22.11.2017 को अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल का आदेश दिनांक 4.8.2017 एवं तस्दीकी इन्तकाल संख्या 2285 दिनांक 16.8.2017 वाके ग्राम मॉगरोल निरस्त फरमाया जावे।

इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंटस् की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 के पिता मृतक नन्दकिशोर सगे भाई है तथा मूलचन्द जी के पुत्र है, जिसके सयुक्त खातेदारी में ग्राम मॉगरोल के खाता नं. 711 के खसरा नम्बर 3513, 3514, 3515 कुल 0.77 है0 आराजी खातेदार मथुरालाल, धन्नालाल, श्रीलाल पि0 माधोलाल जाति–मीणा निवासी मॉगरोल, खाता सं0 714 के खसरा नम्बर 2247, 2448, 2449, 2450 रकबा 1.25 है0 खातेदार मथुरालाल पुत्र माधोलाल मीणा नि. मॉगरोल, खाता सं. 791 के खसरा नम्बर 3616 रकबा 1.31 है0 खातेदार मूलीलाल, मथुरालाल पि. माधोलाल जाति मीणा नि. मॉगरोल, व खाता सं0 795 की आराजी खसरा नम्बर 3313, 3593 कुल रकबा 1.38 है0 खातेदार मूल्या, मथुरा व पन्ना पि0 माधो मीना निवासी मॉगरोल के राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। रेस्पों0 क्रम 1 ता 6 के पिता श्री नंदकिशोर जो अपीलांट का सगा भाई है जिसने काका मथुरालाल जो लाओलाद फोत हुए है, उनका फर्जी गोदनामा दिनांक 04.07.2013 को चुपचाप तैयार कराकर, राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिलीभगत कर, पंजीयन करा लिया है। जबकि मथुरालाल जी ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं लिया ना हीं किसी के काई वसीयत तहरीर की। उक्त गोदनामा पूर्णतया फर्जी तरीके से मथुरालाल जी के हिस्से की आराजी को हडपने के उदद्वेश्य से तैयार किया गया है। जिस वक्त गोदनामा तस्दीक हुआ है, उस वक्त मृतक नन्दकिशोर की आयु 44 वर्ष की थी। इसलिये गोदनामा अवैध व प्रभावशून्य है।

साथ हीं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त गोदनामें के आधार, मृतक नन्दकिशोर को मथुरालाल का दत्तक मानकर, उसके वारिसान रेस्पों0 क्रम 1 ता 6 के नाम मथुरालाल के हिस्से की आराजी दर्ज करने करने आदेश दिये है तथा इन्तकाल तस्दीक किया है। उक्त आदेश पूर्णतया अवैध व निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व सह खातेदारान् व वारिसान् को सुनवाई व शहादत का कोई अवसर नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरकरी तौर पर जॉच कर, मृतक नंदकिशोर को मथुरालाल का गोदपुत्र मानने में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विधिक भूल की है। नंदकिशोर अपने जीवनकाल में कभी भी गोद नहीं गया है। नन्दकिशोर के मृत्यु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी. में पिता का नाम मूलचन्द हीं अंकित है, इससे प्रमाणित होता है कि मृतक नन्दकिशोर कभी भी मथुरालाल के गोद नहीं गया है।

यह भी कथन किया कि फर्जी गोदनामा निरस्त करने के लिये अपीलांट ने सक्षम न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, मॉगरोल में घोषणा का वाद दायर कर दिया है जो वर्तमान में लंबित है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की होने एवं बाहमी बटवारे के आधार पर अपीलांट लगातार उक्त आराजी पर काबिज काश्त है किन्तु उक्त गोदनामा के आधार पर मथुरालाल के हिस्से की आराजी रेस्पोडेंट के खाते दर्ज होने से अब रेस्पों0 काश्त करने में दखलअन्दाजी करते है तथा लडाई झगडा व मारने की धमकी दे रहे है। अतः मौके व कब्जे की यथास्थिति को कायम रखते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.8.2017 व तस्दीकी इन्तकाल को निरस्त फरमाया जाकर, मथुरालाल के खातेदारी का आराजी को विधिवत बराबर–बराबर दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेट ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि रेस्पों0 कम 1 ता 6 के पिता नन्दकिशोर जी है, जिन्हे मथुरालाल जी ने उनके कोई वारिस नहीं होने से उनकी बाल्यकाल से हीं गोदपुत्र रखा है। मथुरालाल की सेवा सुश्रेषा रेस्पों0 द्वारा हीं की गयी है। किन्तु काननून जानकारी के अभाव में बाल्यावस्था में गोदनानामा तहरीर नहीं किया गया। किन्तु जानकारी होने पर, मथुरालाल जी ने दिनांक 04.07.2003 को रजिस्टर्ड गोदनामा पंजीयन कराया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से आलेखित किया है कि नन्दकिशोर मेरा दत्तक पुत्र है। मथुरालाल जी के मृत्यु उपरान्त अपीलांट के पिता नन्दकिशोर जी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में मथुरालाल जी के दत्तक पुत्र होने से उनके हक व हिस्से की आराजी को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु आवेदन करने पर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा गोदनामा का परीक्षण व गोदनामे के गवाहान की साक्ष्य लेकर, दौराने प्रकरण नन्दकिशोर जी की मृत्यु होने पर उनके प्राकृतिक वारिसान् रेस्पों0 के नाम उक्त पंजीकृत गोदनामे के आधार पर वर्णित आराजी दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो पूर्णतया विधिसम्मत है।

अपीलांट ने उक्त गोदनामा को अवैध करार करने के लिये सिविल न्यायालय में चैलेंज कर रखा है, जो पैण्डिग कोर्ट है। सिविल न्यायालय विस्तृत है, जिसके अनुरूप हीं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद होवे। इस अपील का कोई औचित्य नहीं रहा है। अतः अपीलांट की अपील निराधार तथ्यों पर आधारित होने से अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध आद्योपांत अवलोकन किया तथा बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात् का व बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कारान् के संयुक्त खातेदारी में वर्णित आराजी में से मथुरालाल के हिस्से की आराजी को पंजीकृत गोदनामा दिनांक 4.7.2003 के आधार पर दत्तक पुत्र नन्दकिशोर का सगा भाई है, उसके वारिसान् के खाते दर्ज करने के आदेश पारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किये है। इसी आधार पर उक्त इन्तकाल संख्या 2285 दिनांक 16.8.2017 तस्दीक किया गया है। अपीलांट का बहस के दौरान मुख्य तर्क रहा है कि मथुरालाल जी ने अपने जीवनकाल में किसी भी व्यक्ति को गोद नहीं रखा है, गोदनामा फर्जी व अवैध है, जिसको अवैध करार करने हेतु सिविल कोर्ट में वाद दायर कर रखा है। अधीनस्थ न्यायालय ने सहखातेदार को बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया है। जबकि रेस्पों0 अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि मथुरालाल जी ने रेस्पों0 के पिता मृतक नन्दकिशोर को पंजीकृत गोदनामा तहरीर किया है। इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पों0 के नाम मथुरालाल जी के हिस्से की आराजी दर्ज करने के आदेश दिये है।

इस परिपेक्ष्य में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से विदित होता है कि मथुरालाल लाऔलाद फोत हुआ है। मथुरालाल के कोई वारिस नहीं होने से नन्दकिशोर पुत्र मूलचन्द को दत्तक ग्रहण कर, दिनांक 04.07.2003 को रजिस्टर्ड गोदनामा तहसील मॉगरोल में पंजीकृत कराया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पंजीकृत गोदनामा, गोदनामे के गवाहान् की विधिक साक्ष्य उपरान्त मृतक नदंकिशोर के वारिसान् रेस्पों0 के नाम मथुरालाल के हिस्से की आराजी दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त गोदनामा पर आपत्ति की है कि उक्त गोदनामा फर्जी व अवैध है, इसके संबंध में परीक्षण व व्याख्या सिविल न्यायालय द्वारा हीं की जा सकती है। चूकि पक्षकारान् के मध्य वर्तमान में गोदनामा निरस्त कराने के संबंध में घोषणा का वाद माननीय वरिष्ठ सिविल न्यायालय,मॉगरोल में जेरकार है जिसमें हीं गोदनामे के वास्तविक स्वरूप तय होगे व इसी अनुरूप हीं राजस्व रेकार्ड के अंकन दुरूस्त होगें। प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official